

(c)

# FORM NO. III

2022/157

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी  
अज अदालत बडीसादडी जि. चित्तौड़गढ़

पुकार  
वनाम हरेदी

किस्म मुकदमा 51.43 128 सं. 112/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का निश्चिपल अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/5/22	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... ग्राम.....<u>बोटेडा</u>.....की आ.न.....<u>1816 अका 0.03 अ. 1817 अका 0.03 अ.</u>..... विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये <u>800/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
बडीसादडी

